05/01/26 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकुलाप फारिकैन उप० पत्रावली का अध्ययन किया तथा बदरनी अर्जी पर मनन किया। अर्जी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि०

किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्डअधिकारीबहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 29 / 2025

दायर दिनांक :– 06.10.2025

निर्णय दिनांक :– 05/01/26

उनवान

1. पप्पूराम यादव पुत्र लीलपाराम जाति अहीर निवासी ग्राम शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड। ......प्रार्थी

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। ....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. काश्तअधि.

उपस्थित :–

1. श्री जयप्रकाश शर्माअधिवक्तावादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड का रहने वाला है तथा आराजी खसरा नम्बर हाल जामबान्दी में खसरा नम्बर 535 रकबा 48 एयर,536 रकबा 52 एयर वाके ग्राम शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड का खातेदार मिन प्रार्थी दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रिकार्ड में पप्पूराम पुत्र लीलाराम यादव है प्रार्थी के आधार कार्ड पैन कार्ड पुराना राशन कार्ड डिस्चार्ज ऑफ सर्विस बुक हाल राशन कार्ड वोटर लिस्ट व सभी दस्तावेज में पप्पूराम पुत्र लीलाराम अंकित है। जबकि ग्राम में मेरा नाम रणजीत के नाम से बुलाते है तथा उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयो के नाम से बुलाते है तथा उक्त उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के नाम की पुछताछ किये बिना मिन प्रार्थी को सुने ही प्रार्थी का नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की फौतगी के बाद विरास्त का इंतकाल दर्ज करते समय व प्रार्थी ऑन डयूटी होने कारण प्रार्थी का नाम पप्पूराम पुत्र लीलाराम के स्थान पर रणजीत पुत्र लीला बोलता नाम दर्ज कर दिया गया जो ना राजस्व रिकार्ड में रिपीर्ट होता आ रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 535 रकबा 48 एयर ,536 रकबा 52 एयर वाके ग्राम शहजहादपुरद नांगलिया तहसील बहरोड़ के राजस्व रिकार्ड में रणजीत पुत्र लीला के स्थान पप्पूराम पुत्र लीलाराम आधार कार्ड व संलग्न अन्य दस्तावेजो के आधार पर दर्ज किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व जामाबन्दीयात में अंकन करने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दूओ को प्रार्थी स्वयं सिद्व करे बाबत निवेदन किया है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 64 में रणजीत पुत्र लीलाराम जाति अहीर सा. देह. खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के पिता लीलाराम के फात होने पर उनके पिता का विरासत नामान्तकरण संख्या 179 में प्रार्थी का नाम रणजीत दर्ज किया गया। प्रार्थी आधार कार्ड, मददाता वोटर लिस्ट के क्रम संख्या 662 पर पप्पूराम पुत्र लीलाराम दर्ज है एवं आयकर प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड व प्रार्थी के सर्विस रिकार्ड में पप्पूराम पुत्र लीलाराम दर्ज है के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉड में रणजीत पुत्र लीलाराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र लीलाराम करवाया चाहता है। जो मुताबिक प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो के आधार पर किया जाना उचित है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बहरोड को आराजी खसरा नम्बर 535 रकबा 48 एयर, 536 रकबा 52 एयर वाके ग्राम शहजादपुर नांगलिया में दर्ज रणजीत पुत्र लीलाराम के स्थान पर पप्पूराम यादव पुत्र लीलाराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को पालना हेतु पत्र जारी किया जावे।

आज दिनाक 05.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली–बहरोड़)
बहरोड़